कार्यालय : अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, राँची।

वन भवन, डोरण्डा, राँची

e-mail : pccf-development@gov.in ☎ - 0651-2481813/ 9304727852

पत्रांक : 01/यो0ब0–16/2021–832 दिनांक :– 15.12.2021

प्रेषक,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची ।

सेवा में,

वन संरक्षक, वनरोपण, शोध एवं मूल्यांकन, राँची/
वन संरक्षक एवं राज्य वन वृक्ष विज्ञानी, राँची/
उप वन संरक्षक, प्रशिक्षण, राँची/
निदेशक, वनपाल–सह–वनरक्षी प्रशिक्षण विद्यालय, हजारीबाग/
वन प्रमंडल पदाधिकारी, सारण्डा वन प्रमण्डल, चाईबासा/
वन प्रमंडल पदाधिकारी, राँची वन प्रमण्डल, राँची

विषय :– वित्तीय वर्ष 2021–22 में कार्यान्वित की जाने वाली ''प्रशिक्षण, प्रचार–प्रसार, अनुसंधान एवं मूल्यांकन'' योजना (अन्य व्यय) के अंतर्गत विभागीय पदाधिकारियों/कर्मचारियों का प्रशिक्षण, शोध पौधशालाओं का रख–रखाव एवं शोध आदि कार्य हेतु कुल **रू0 471.878 लाख (चार करोड़ एकहत्तर लाख सतासी हजार आठ सौ रुपये)** मात्र राशि का ऑन लाईन उप आवंटन (Online Sub Allotment)।

प्रसंग:– वन विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 4/यो0ब0–27/2020–20/स्वी0 व0प0 दिनांक–13.12.2021 एवं आवंटन आदेश संख्या–04/यो0 बजट–27/2020–40/आ0 व0प0 दिनांक–13.12.2021 ।

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में बजट मुख्य शीर्ष 2406–वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष–01 वानिकी, लघु शीर्ष–101 वन संरक्षण, विकास तथा सम्पोषण, उप शीर्ष–60–प्रशिक्षण, प्रचार–प्रसार, अनुसंधान एवं मूल्यांकन योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021–22 में बजट उपबंध के अंतर्गत स्वीकृत राशि में कुल **रू0 471.878 लाख (चार करोड़ एकहत्तर लाख सतासी हजार आठ सौ रुपये)** मात्र का उप आवंटन निम्नलिखित इकाईयों में किया जाता है :–

प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड	(राशि लाख में)
मजदूरी	19S240601101600103	120.765
आपूर्ति एवं सामग्री	19S240601101600103	51.116
प्रशिक्षण	19S240601101600103	299.997
कुल :–		**471.878**

वर्त्तमान में वन संरक्षक एवं राज्य वन वृक्ष विज्ञानी, राँची को आपूर्ति एवं सामग्री मद में रू0 40.858 लाख (चालीस लाख पचासी हजार आठ सौ रूपये) कम राशि उप आवंटित की जा रही है। अवशेष राशि विभाग से प्राप्त आवंटन के उपरान्त उपलब्ध करा दी जाएगी।

C:\ANIL\2021-22\Allotment\OA\Training, Publicity, Research & Evaluation\S.O. 20 dt 13.12.2021 (7)\Training & Research.doc

2. इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी **अनुलग्नक–1 से 3** पर वर्णित वन संरक्षक/वन प्रमण्डल पदाधिकारी होंगे ज़ो अपने सम्मुख अंकित कार्यों की राशि से अपने–अपने कार्यालयों के कार्यो के लिए उत्तरदायी होंगे एवं विभाग को ससमय भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित करेंगे। ऑन लाईन उप–आवंटन की प्रति **अनुलग्नक–4** पर द्रष्टव्य है। वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए वनरक्षियों के पुनश्चर्या प्रशिक्षण का प्राक्कलन एवं वन अनुसंधान–सह–प्रदर्श एवं प्रसार केन्द्र, गढ़खटंगा, गम्हरिया तथा देवघर का कार्य योजना उप आवंटन आदेश के साथ संलग्न है।

3. इस योजना का कोड संख्या–19S240601101600103, 19S240601101600103 एवं 19S240601101600103 है, जो कोषागार से राशि निकासी के लिए प्रस्तुत विपत्रों एवं व्यय प्रतिवेदन में अनिवार्य रूप से अंकित किया जाएगा।

4. स्वीकृत राशि की निकासी वित्त विभागीय पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.1998 एवं समय–समय पर निर्गत परिपत्रों के अनुरूप किया जायेगा।

5. राशि की निकासी संबंधित जिलों में अवस्थित कोषागार/ उप कोषागार से की जाएगी तथा झारखण्ड कोषागार संहित के नियम–174 एवं सभी वित्तीय नियमों का अनुपालन दृढ़तापूर्वक किया जाएगा।

6. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी परिस्थिति में स्वीकृत राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा।

7. प्रचार–प्रसार से संबंधित गतिविधियों में IPRD के साथ समन्वय स्थापित किया जाए।

8. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास के द्वारा योजना कार्यान्वयन का सतत् अनुश्रवण एवं तकनीकी पक्षों पर कार्यान्वयन प्रभाग/कार्यान्वयन एजेन्सी का मार्गदर्शन किया जाएगा।

निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, उनके नियंत्री पदाधिकारी तथा अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक, प्रसार वानिकी/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक निम्न कार्य पर विशेष ध्यान करेंगे :–

(i) योजनांतर्गत प्रत्येक माह हेतु निर्धारित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य के विरुद्ध प्रगति से इस कार्यालय को अवगत कराया जाएगा।

(ii) नियमित रुप से राशि का व्यय, समायोजन तथा प्रमंडलीय लेखा में प्रवृष्टि की भी समीक्षा करेंगे। ससमय लेख प्रेषण सुनिश्चित करने की समीक्षा की जायेगी।

(iii) नियमित निर्धारित अन्तराल पर सभी आवश्यक समीक्षा एवं बैठकों का आयोजन Offline या online video conferencing इत्यादि के माध्यम से भी किया जाय।

(iv) ऐसी कार्यान्वयन एजेन्सी जिनका कार्य संतोषप्रद न हो तथा जहाँ आवश्यक सुधार की आवश्यकता हो, तद्नुसार निर्देश संबंधित पदाधिकारियों द्वारा निर्गत किया जाएगा। जहाँ नियंत्री पदाधिकारी की हस्तक्षेप की आवश्यकता हो, उनका ध्यान आकृष्ट किया जाय।

(v) कोई Duplication अन्य केन्द्रीय/राज्य योजना से नहीं किया जाय, यथा कैम्पा, वन्यप्राणी पर्यावास का समेकित विकास, पलामू व्याघ्र परियोजना, वन अग्नि रोकथाम एवं प्रबंधन योजना, हाथी परियोजना इत्यादि।

(vi) दो या दो से अधिक स्त्रोत से प्राप्त धनराशि का भौतिक/वित्तीय ब्यौरा स्पष्ट रुप से अंकित रखा जायेगा।

(vii) विभिन्न आय स्त्रोतों पर धन राशि व्यय हो रही है, गत 3 वर्ष में आमदनी का ब्यौरा भी स्पष्ट किया जाय। यह राशि कोषागार में जमा की जाय। कंडम सामग्री का निष्पादन विधिवत स्थापित प्रक्रिया के तहत किया जाय। स्टाकपंजी इत्यादि तद्नुसार सत्यापित एवं update रहे।

9. Monitoring विभिन्न कंडिकाओं में अंकित निर्देशों के साथ–साथ निम्न व्यवस्था भी की जायेगी :–

(क) योजना का सामाजिक अंकेक्षण पूर्व तीन वर्षों का कराया जाय। वित्तीय वर्ष 2020–21 से नियमित रुप से सामाजिक अंकेक्षण कराया जायेगा।

(ख) तृतीय पक्ष मूल्यांकन (बाह्य मूल्यांकन) प्रतिष्ठित संस्थान से कराया जाय।

(ग) विभागीय स्थापित monitoring व्यवस्था के अतिरिक्त राज्य सरकार monitor, भारत सरकार के पैट्रन पर योजना monitoring के लिए अधिकृत कर सकती है।

10. (I). निकासी एवं व्ययन पदाधिकरियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन 100 प्रतिशत निर्धारित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य को प्राप्त करना सुनिश्चित किया जायेगा।

(II) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के द्वारा कार्यान्वयनाधीन योजनाओं का स्थल नियमित निरीक्षण निर्धारित 100 प्रतिशत भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य के अनुरुप करते हुए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्य सम्पन्न कराया जाएगा।

(III) निरीक्षण प्रतिवेदन प्रत्येक माह की पाँच तारीख तक अपनी नियंत्री पदाधिकारी के माध्यम से अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड को वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन के साथ समर्पित किया जाएगा।

(IV) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी sub-disbursal से भुगतान ब्यौरा प्राप्त करके उसका सत्यापन कर सकेंगे। मास्टर रोल में बैंक account no. के साथ फोन नम्बर (यथा संभव) भी एकत्र किया जाय।

(V) योजना का ब्यौरा विभागीय पोर्टल पर संधारित किया जाय। नियंत्री पदाधिकारी एक स्थाई प्लेटफार्म e-green watch/MGNREGA इत्यादि के पैर्टन पर तैयार करायें।

(VI) सभी भुगतान DBT या सीधे बैंक खाते में श्रमिकों तथा सामग्री आपूर्ति कर्त्ता को किया जायेगा। किसी भी परिस्थित में नगद भुगतान नहीं किया जायेगा।

(VII) बैंक स्टेटमेंट भी sub-disbursal का साक्ष्य मास्टर रोल/भाउचर के साथ प्राप्त कर लें ताकि नियमित भुगतान की समीक्षा की जा सके। इसका सत्यापन विपत्र पारित करने तथा लेखा समायोजन में किया जाय।

(VIII) Income Tax (IT)/Service Tax (GST/VAT)/Mines Royality के तहत जहाँ at-source कटौती करना है, यह कटौती DDO/sub-disbursal सुनिश्चित करेगें तथा ससमय return जमा करेगें।

11. **(i)** मजदूरी का भुगतान श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित अद्यतन दर के अनुरूप किया जायेगा। मजदूरी मद में स्वीकृत राशि का व्यय योजना के परिमाणकों के अंतर्गत एवं निर्धारित मजदूरी दर के अनुरूप वास्तविक व्यय तक सीमित रखना सुनिश्चित किया जायेगा।

(ii) सभी यंत्र–संयत्र एवं मशीन उपकरण आदि का भौतिक सत्यापन सुनिश्चित करते हुए वित्तीय नियमों के अनुपालन पश्चात् मशीन उपकरण एवं सामग्रियों का क्रय e-GEMS से किया जाय।

(iii) वैसे यंत्र–संयत्र, मशीन उपकरण जिनका क्रय e-GEMS के माध्यम से नहीं हो सकता है, उनका क्रय निविदा आमंत्रित करके की जाएगी यथा संभव e-tender का पालन किया जाय। ऐसे मामले जहाँ e-tender संभव नहीं है, योजना के नियंत्री पदाधिकारी से विधिवत लिखित अनुमति प्राप्त कर निविदा आमंत्रित किया जाय। निविदा आमंत्रण में CVC की मार्गदर्शिका का पालन किया जाय।

12 COVID-19 के रोकथाम के संबंध में संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी का यह दायित्व रहेगा कि जहाँ–जहाँ मजदूरों से कार्य लिया जायेगा उनसे Social distancing तथा उनके मास्क का प्रयोग अनिवार्य रखा जायेगा। हैन्डवाश इत्यादि की समुचित व्यवस्था की जाय।

13. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अंतर्गत मजदूरी मद में मजदूरों को भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते के माध्यम से ही किया जायेगा। साथ ही सामग्री के भुगतान के भुगतान के संबंध में विभागीय पत्रांक 1204 दिनांक 20.03.2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

14. नियंत्री तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरुद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसके लिए दूसरे स्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोककर इसके निराकरण हेतु सूचना इस कार्यालय को तुरन्त देंगे। नियंत्री एवं निकासी पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि योजना में निहित कार्यों का दोहरीकरण न हों।

15. योजनाओं में सामग्री का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत दिशा–निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के संकल्प संख्या–940 दिनांक 16.03.1992 द्वारा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशंसाओं के अनुसार या GeM से की जाएगी।

16. इस योजनान्तर्गत वानिकी कार्यो का सम्पादन विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निरुपित प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकार से अनुमोदित दर पर किया जायेगा तथा योजनान्तर्गत किये जाने वाले ऐसे कार्य जिनका दर विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के कार्यक्षेत्र से बाहर है, की दर का निर्धारण योजना के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग की निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किया जायेगा तथा विभागीय कार्यालय आदेश संख्या–सह–ज्ञापांक–686, दिनांक–05.02.2016 द्वारा विभाग के अन्तर्गत वृक्षारोपण कार्यों को छोड़कर अन्य कार्यों तथा सेवाओं के लिए गठित Procurement Committee की अनुशंसा के अनुरूप कार्रवाई की जायेगी।

17. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation ससमय निश्चित रुप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा। साथ ही Account Code Vol (III) की धारा 297 के प्रावधानों के अनुरुप सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरुप निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संवितरकों के खाते का मासिक लेखा/लेजर वन संरक्षक/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, सामाजिक वानिकी/अन्य नियंत्री पदाधिकारी के माध्यम से महालेखाकार को समर्पित कराना सुनिश्चित करायेंगे।

18. स्वीकृत राशि का भुगतान वित्त विभागीय पत्रांक 3542 दिनांक 19.12.2013 में निरूपित प्रावधानों के अनुरूप किया जायेगा।

अनुलग्नक :– यथोक्त ।

विश्वासभाजन,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक– **01/यो0ब0–16/2021–832** **दिनांक–15.12.2021**

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक सहित अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण, झारखण्ड, राँची/मुख्य वन संरक्षक, अनुसंधान, झारखण्ड, राँची/ मुख्य वन संरक्षक, प्रशिक्षण, झारखण्ड, राँची/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, जमशेदपुर/ वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, चाईबासा/ एनवीस सेन्टर, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :– यथोक्त ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक– **01/यो0ब0–16/2021–832** **दिनांक–15.12.2021**

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी, डोरण्डा, राँची/ हजारीबाग/ चाईबासा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :– यथोक्त ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

अनुलग्नक–1

वित्तीय वर्ष 2021–22 में कार्यान्वित की जानेवाली ''प्रशिक्षण, प्रचार प्रसार, अनुसंधान एवं मूल्यांकन'' योजना (अन्य व्यय) के अंतर्गत प्रशिक्षण कार्यों से संबंधित उप आवंटित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

क्र0 सं0	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	कार्य विवरणी	प्रशिक्षण व्यय	कुल
1.	उप वन संरक्षक, प्रशिक्षण, राँची।	वनरक्षियों के पुनश्चर्या प्रशिक्षण	87.204	87.204
		अनुसचिवीय कर्मचारियों का कार्यालय पद्धति, स्थापना मामले एवं वित्तीय नियमों पर प्रशिक्षण	1.640	1.640
		वन अधिकारियों / अन्य स्टेक होल्डर के लिए कार्यशाला	2.100	2.100
		वन विभाग के वन विश्रामागार के कर्मचारी एवं कार्यालय के स्टाफ यथा आदेशपाल हेतु शिष्टाचार एवं आतिथ्य में शिष्टाचार का प्रशिक्षण	1.200	1.200
		वन पदाधिकारियों के लिए "Art of Living" विषय पर त्रिदिवसीय प्रशिक्षण / कार्यशाला का आयोजन आदि	8.755	8.755
		योग :–	**100.899**	**100.899**
2.	निदेशक, वनपाल–सह–वनरक्षी प्रशिक्षण विद्यालय, हजारीबाग।	वनरक्षियों के पुनश्चर्या प्रशिक्षण	80.464	80.464
		अनुसचिवीय कर्मचारियों का कार्यालय पद्धति, स्थापना मामले एवं वित्तीय नियमों पर प्रशिक्षण	1.640	1.640
		वन अधिकारियों / अन्य स्टेक होल्डर के लिए कार्यशाला	1.050	1.050
		योग :–	**83.154**	**83.154**
3.	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, सारण्डा वन प्रमण्डल, चाईबासा।	वनरक्षियों के पुनश्चर्या प्रशिक्षण	87.204	87.204
		अनुसचिवीय कर्मचारियों का विभिन्न विषयों पर प्रशिक्षण	1.640	1.640
		वन अधिकारियों / अन्य स्टेक होल्डर के लिए कार्यशाला	2.100	2.100
		योग :–	**90.944**	**90.944**
4.	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, राँची वन प्रमण्डल, राँची	अखिल भारतीय वन खेल–कूद प्रतियोगिता का आयोजना पर व्यय	25.000	25.000
		योग :–	**25.000**	**25.000**
		सकल योग :–	**299.997**	**299.997**

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

अनुलग्नक–2

वित्तीय वर्ष 2021–22 में कार्यान्वित की जानेवाली "प्रशिक्षण, प्रचार प्रसार, अनुसंधान एवं मूल्यांकन" योजना (अन्य व्यय) के अंतर्गत उप आवंटित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

क्र0 सं0	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	कार्य विवरणी	मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल
1.	वन संरक्षक, वनरोपण, शोध एवं मूल्यांकन, राँची	वन अनुसंधान–सह–प्रदर्श एवं प्रसार केन्द्रो का रख–रखाव कार्य (गढ़खटंगा स्थित वन अनुसंधान–सह–प्रदर्श एवं प्रसार केन्द्रों के लिए)	26.170	11.223	37.393
		वन अनुसंधान–सह–प्रदर्श एवं प्रसार केन्द्रो का रख–रखाव कार्य (गम्हरिया स्थित वन अनुसंधान–सह–प्रदर्श एवं प्रसार केन्द्रों के लिए)	23.005	6.792	29.797
		वन अनुसंधान–सह–प्रदर्श एवं प्रसार केन्द्रो का रख–रखाव कार्य (देवघर स्थित वन अनुसंधान–सह–प्रदर्श एवं प्रसार केन्द्रों के लिए)	19.115	9.559	28.674
		योग :–	**68.290**	**27.574**	**95.864**

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

वित्तीय वर्ष 2021–22 में कार्यान्वित की जानेवाली "प्रशिक्षण, प्रचार प्रसार, अनुसंधान एवं मूल्यांकन" योजना (अन्य व्यय) के अंतर्गत शोध आदि से संबंधित उप आवंटित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी : वन संरक्षक एवं राज्य वन वृक्ष विज्ञानी, राँची

(राशि लाख में)

क्र0 सं0	कार्य विवरणी	2021–22 (प्रथम वर्ष)		
		मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल
1	Showcasing and promotion of Value added NTFPs in the Forest HQ.	20.400	15.600	36.000
2	Development of Sisal permanent nursery for the purpose of supplying Bulbils to various plantation sites in Jharkhand to strengthen trench burms.	6.000	9.000	15.000
3	Time and Motion study of various steps of production of Sisal fibre and by-products to improve the effectiveness in the productivity and also the revision of per metric ton Sisal fibre production/works/rate.	4.000	9.000	13.000
4	Creation of Livelihood opportunities in most backward areas of Latehar district by Value addition of Sisal fibre through enhancement of Sisal fibre extraction technique with modernization of equipments etc. (Sisal Fibre Production unit in Sabano and Latehar Town, Distt.-Latehar).	15.675	18.200	33.875
5	Study of FRA implementation in the State of Jharkhand and impact on Forest and wildlife conservation/Flora and fauna.	3.200	6.300	9.500
6	Impact of Forest Fire on Forest Floor, Fauna and Floral Biodiversity.	3.200	6.300	9.500
	योग :–	**52.475**	**64.400**	**116.875**

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

अनुलग्नक-4

वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए वनरक्षियों के पुनश्चर्या प्रशिक्षण का प्राक्कलन

क्र0 सं0	कार्य विवरणी	प्राक्कलित राशि	अभ्युक्ति
1	**Online Mode (e-learning) द्वारा प्रशिक्षण (कुल 02 सत्र) एक सत्र में प्रशिक्षण कार्य दिवस–28 (कुल 56 कार्य दिवस**		
1.1	2 (दो) पाठ्यक्रम सामग्री (Video Lecture) तैयार करना एवं प्रशिक्षण सत्र का संचालन करना @ 11.38 लाख प्रति पाठ्यक्रम सामग्री	2276000	
	योग :–	**2276000**	
2	**Physical mode द्वारा प्रशिक्षण (कुल 03 सत्र) एक सत्र में प्रशिक्षण कार्य दिवस–30 (कुल 90 कार्य दिवस) एक सत्र में 02 कक्ष (प्रति कक्षा 20 वनरक्षी)**		
2.1	व्याख्यान हेतु व्यय (व्याख्यानदाताओं का मानदेय, व्याख्यान–कक्ष, कम्प्यूटर लैब, प्रदर्श पौधशाला, प्रदर्श आरबोटेरम, लाईब्रेरी, बिजली, जेनरेटर सेट, आदि के संधारण पर व्यय)	1544000	
2.2	प्रशिक्षणार्थियों का आवासीय व्यय (छात्रावास, मेस, भोजन–सामग्री, सामाचार–पत्र, विशेष सफाई (सेनिटाईजेशन) आदि पर व्यय)	1654000	
2.3	शारीरिक प्रशिक्षण (शारीरिक/योगा प्रशिक्षक का मानदेय, खेल–कूद, मैदान का संधारण, व्यायामशाला/जिमनेजियम का संधारण, खेल–कूद सामग्री आदि पर व्यय)	546405	
2.4	प्रशिक्षण सामग्री पर व्यय (पाठ्य सामग्री, बैग, पेन, नोटपैड आदि)	125000	
2.5	क्षेत्र भ्रमण आदि पर व्यय	660000	
2.6	कार्यालय संचालन पर व्यय (स्टेशनरी, विद्यालय/कार्यालय संसाधनों का संधारण आदि)	1915000	
	योग :–	**6444405**	
	सकल योग :–	**8720405**	

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

वित्तिय वर्ष 2021–22 में कार्यान्वित की जाने वाली योजनाओं का भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य का उप आवंटन

योजना का नाम – प्रशिक्षण, प्रचार अनुसंधान एवं मूल्यांकन (सामान्य योजना)

अनुमानित मजदूरी – 311.33 रूपये प्रति मानव दिवस

प्रक्षेत्र का नाम	कार्य विवरणी	प्रस्तावित राशि			
		मानव दिवस	मजदूरी (रू०)	सामग्री (रू०)	कुल व्यय (रू०)
1	2	3	4	5	6
वन अनुसंधान –सह– प्रदर्श एवं प्रसार केन्द्र, गढ़खटंगा	वन अनुसंधान–सह– प्रदर्श एवं प्रसार केन्द्र, गढ़खटंगा। (पश्चिमी पठार)				
	वर्मी कम्पोस्ट की तैयारी से संबंधित कार्य				
	वर्मी कम्पोस्ट खाद तैयार करने हेतु (कच्चा गोबर का भराव, जूट बैग से ढकना, पटवन, तैयार होते खाद का हाथ से हल्का करना, तैयार खाद में चालना एवं भंडारण हेतु विभिन्न आकार के बैग का क्रय) उत्पादन लक्ष्य– 6250 कि०ग्रा०।	125	38,916.25	19,375.00	58,291.25
	स्थानीय विलुप्त प्राय एवं वैसे प्रजाति जिनके बीजों का संग्रहण एवं संवर्धन आसानी से संभव नहीं होता उन प्रजातियों का शाखा कर्त्तन द्वारा मिस्ट चैंबर में तैयारी (मुकचुन, सोनापाठा, मेधछाल, सलई, करम, रूद्राक्ष, गुलर, चंदन, गुड़ी करम, काला शीशम, रोड़ी, रक्त चंदन, गमकराया, कपूर, कॉफी आदि तथा विभिन्न प्रकार के हेज पौधों का ट्रायल हेतु Acacia Sibriana, Duranta, पथरीले जमीन पर Ficus, Litsea प्रजाति आदि)। ये तैयार पौधे विभाग के विभिन्न प्रमण्डलों को वृक्षारोपण हेतु उपलब्ध कराये जाते हैं।				
	1. मिस्ट चैम्बर में विभिन्न प्रजातियों के ब्रांच कटिंग–संग्रहण, परिवहन, रोपण, पटवन, रख–रखाव, कोड़नी–निकौनी इत्यादि कार्य। पॉली कारबोनेट सीट, ऑटोमेटिक टेम्परेचर एवं प्रेशर कंट्रोल का बदलाव, कटिंग से क्लोन तैयार करने के पश्चात् पौधशाला में उनकी उत्तरजीविता प्रतिशत का अध्ययन। ब्रांच कंटिग कार्य हेतु एक अति कुशल मज़दूर 11949.46 रू० प्रति माह।		126,000.00	50,000.00	176,000.00
	2. पौधों की तैयारी रख–रखाव हेतु एक हेल्पर (पुरे वर्ष के लिए)।	312	97,134.96	0.00	97,134.96
	3. उक्त ब्रांच कटिंग से रूट ट्रेनर में तैयार 10,000 पौधों को पॉली ट्यूब में प्रतिस्थापन (Transplanting), उर्वरक, किटनाशक, कोड़नी–निकौनी एवं पटवन आदि कार्य। (इन विलुप्त प्राय प्रजातियों के पौधों का उपयोग विभिन्न वन प्रमंडलो में किये जाने वाले वनरोपण कार्य में वनों में इन प्रजातियों के प्रसार हेतु किया जायेगा)।	250	77,832.50	23,575.00	101,407.50
	साल एवं साल के सहयोगी प्रजाति, एल0के0टी0एस0, स्थानीय लघु वन उपज वाले प्रजाति, शहरी वानिकी एवं सौदर्यीकरण प्रजाति एवं फलदार प्रजाति के पौधे का नर्सरी संबंधित कार्य। (ट्यूब का क्रय, ट्यूब मे मिटटी, बालू, खाद को चुरा करना, मिश्रण को ट्यूब में भरना, बेडों में सजा के रखना, बीजो का क्रय/संग्रहण, उपचार, रोपण आदि कार्य) – अग्रिम एवं समापन कार्य साथ–साथ। (नोट – उपरोक्त प्रजातियों के बीजो (सी0पी0टी0 द्वारा प्राप्त बीज) का संग्रहण काल सामन्यतः अप्रैल से जुलाई माह तक होते है तथा ऐसे प्रजातियों के बीजों का अंकुरण क्षमता अल्प कालिन होने के फलस्परूप उपरोक्त हेतु अग्रिम एवं समापन कार्य एक साथ किया जायेगा)। प्रजाति – साल, हर्रे, बहेरा, भेलवा, छतवन, महुआ, करम, पियार, सेमल, आसन, कुसूम, गुल्मोहर, चंपा, कल्पतरू, बीजा साल, जकरण्डा, अमलतास, सीता अशोक आदि। ये पौधे विभाग के विभिन्न प्रमण्डलों को वृक्षारोपण हेतु उपलब्ध कराये जाते हैं।				

प्रक्षेत्र का नाम	कार्य विवरणी	प्रस्तावित राशि			
		मानव दिवस	मजदूरी (रू०)	सामग्री (रू०)	कुल व्यय (रू०)
	1. 25,000 पौधों (साल एवं साल के सहयोगी प्रजाति, एल0के0टी0एस0, स्थानीय प्रजाति, शहरी वानिकी एवं सौदर्यीकरण प्रजाति) की तैयारी हेतु (स्थानीय जंगलों में कम मात्रा में पाये जाने वाले या विलुप्प प्रजाति के पौधें जो साधरणतः झारखण्ड के किसी भी पोधशाला में तैयार नहीं किये जा रहे हैं वैसे प्रजाति के पौधों के रोपण को बढावा देने के लिए सभी नये प्रजाति जिनके बीज सी0पी0टी0 से प्राप्त किये जाते हैं)	1537.5	478,669.88	78,450.00	557,119.88
	2. वित्तीय वर्ष 2023–24 में 5,000 उच्च गुणवत्ता वाले ग्राफ्टिंग पौधों की तैयारी हेतु 12,500 फलदार पौधों का नर्सरी कार्य	768.5	239,257.11	39,275.00	278,532.11
	शहरी वानिकी एवं सौदर्यीकरण प्रजाति के पौधे की तैयारी से संबंधित कार्य				
	37500 पोली ट्यूब में स्टंप का प्री–स्परावटींग कर बडे पौधों को तैयार कराया जाएगा। इसमें लम्बे पौधे (14" X 20" X 100) के उगाई का कार्य समिल्लित है। (कुल लक्ष्य–37,500)		0.00	0.00	0.00
	ट्यूब (8"x12"x 200 गेज) का क्रय	0	0.00	41,405.18	41,405.18
	बीज का संग्रहण / कयः– स्टम्प को इस अंचल के अधीन स्थाई नर्सरी से निशुल्क प्राप्त कराया जाएगा। अतः इस पर व्यय नहीं होगी।		0.00	0.00	0.00
	मिट्टी में बालू, गोबर खाद / कम्पोस्ट / वर्मी–कम्पोस्ट मिलाना, इत्यादि	150	46,699.50	40,606.78	87,306.28
	ट्यूब की भराई तथा बेडो में रखना	600	186,798.00	0.00	186,798.00
	कोड़नी–निकोनी एवं पटवन आदि का कार्य– दिसम्बर से मार्च तक (1.5 व्यक्ति प्रति दिन)	180	56,039.40	0.00	56,039.40
	300 जी के पॉलीशीट शीट का कय		0.00	8,000.00	8,000.00
	शोध प्रदर्श केन्द्र में अन्य कार्य				
	1. शोध केन्द्र गढ़खटंगा में फलदार प्रजाति के मातृ वृक्षों, औषधीय, क्लोनल पौधों के मातृ वृक्ष एवं बाँस के विभिन्न प्रजातियों के पौधों का भंडारण सह सैम्पुल प्लॉट में रोपित पौधों की कोड़नी निकौनी, पटवन एवं रख–रखाव कार्य।	730	227,270.90	25,000.00	252,270.90
	2(a). बीज प्राप्ती हेतु बीज एवं कॉयिक प्रवर्धन से तैयार वृक्ष उद्यान में रोपित पौधों की कोड़नी निकौनी, पटवन एवं रख–रखाव कार्य। 2(b). कॉयिक प्रवर्धन (vegetative propogation) उद्यान में रोपित पौधों की कोड़नी निकौनी, पटवन एवं रख–रखाव कार्य। 2(c). बैम्बु सेटम का रख–रखाव (0.5 हे0)	312	97,134.96	10,000.00	107,134.96
	3. शोध परिसर में लैण्ड स्केपिंग क्षेत्र, प्रशासनिक भवन, उद्यान आदि का रख–रखाव। इसके लिए आवश्यक मशीनों का कय, स्थापित मशीनों का रख रखाव (दो व्यक्ति पुरे वर्ष के लिए)	365	113,635.45	50,000.00	163,635.45
	4. शोध केन्द्र की सुरक्षा – 3 , सफाई कर्मी – 1, पंजीयों के संधारण एवं देख–रेख हेतु –1 कुल – (5 मजदूर पूरे वर्ष) ।	1560	485,674.80	10,000.00	495,674.80
	5. स्ट्रीट लाईट, टूल्लू पम्प, समर्शबल पम्प, प्रशासनिक भवन का रंगरोगन, लाईटस आदि का वार्षिक रख–रखाव		0.00	80,000.00	80,000.00

प्रक्षेत्र का नाम	कार्य विवरणी	प्रस्तावित राशि			
		मानव दिवस	मजदूरी (रू०)	सामग्री (रू०)	कुल व्यय (रू०)
	6. 10 KVA का जेनरेटर, तथा तार एवं अन्य प्रणाली के साथ कय करना तथा इसका स्थापना करना ताकी बिजली कट जाने से पटवन की आकस्मिक व्यवस्था के लिए।		0.00	290,000.00	290,000.00
	7. पम्प सेट आदि का संचालन, ईंधन सहित।		0.00	70,000.00	70,000.00
	8. तडित चालक खम्बा का मरम्मति, बिजली संयत्रों का मरम्मति।		0.00	35,000.00	35,000.00
	9. पौधशाला उपकरण सामग्री की व्यवस्था।		0.00	20,000.00	20,000.00
	10. तीन एग्रोनेट हाउस का मरम्मति एवं रंगरोगन कार्य।		0.00	100,000.00	100,000.00
	11. दो पॉली हाउस का मरम्मति एवं रंगरोगन कार्य,।		0.00	75,000.00	75,000.00
	12. मिस्ट चैम्बर की मरम्मति।		0.00	25,000.00	25,000.00
	13. शोध केन्द्र परिसर में लगे हुए कटीले तार घेरान का समय समय पर नये तार का कय कर मरम्मति 300 मीटर में कटीला तार को खीचने, सीधा करने तथा स्टेपल के साथ लगाकर घेरान का सुढ्ढीकरण	45	14,009.85	16,635.00	30,644.85
	14. शोध प्रतिवेदन का छायांकन, मुद्रण, प्रकाशन।	0	0.00	15,000.00	15,000.00
	15. शोध केन्द्र परिसर में चल रहे विभिन्न शोध एवं अन्य कार्य क्षेत्र के अलावा शेष क्षेत्र में झाड़ी एवं घास की साफ–सफाई हेतु एक मजदूर पुर वर्ष के लिए।	365	113,635.45	0.00	113,635.45
	16. शोध एवं मूल्यांकन, प्रक्षेत्र महेशपुर, गम्हरिया एवं मोतीलेदा में चल रहे विभिन्न शोध संबंधित कार्यों का आंकड़ों का संकलन, संग्रहण, मूल्यांकन, विशलेषण, अध्ययन एवं प्रकाशन में सहयोग, चल रहे शोध कार्यों के नियमानुकूल प्रक्रियाओं की देख–रेख तथा उन प्रक्रियाओं में अतिरिक्त संभावनाओं/अवसर को मापना अथवा ढुढ़ने आदि कार्य हेतु एक Senior Research Fellow कुल रू0 18190/– प्रतिमाह के दर से 12 माह के लिए।		218,280.00	0.00	218,280.00
	योग :–		**2,616,989.00**	**1,122,321.95**	**3,739,310.95**
	अथवा :–		**2,617,000.00**	**1,122,300.00**	**3,739,300.00**
वन अनुसंधान –सह– प्रदर्श एवं प्रसार केन्द्र, गम्हरिया	**वन अनुसंधान–सह– प्रदर्श एवं प्रसार केन्द्र, गम्हरिया (दक्षिणी पश्चिमी पठार)।**				
	वर्मी कम्पोस्ट की तैयारी से संबंधित कार्य				
	वर्मी कम्पोस्ट खाद तैयार करने हेतु (कच्चा गोबर का भराव, जूट बैग से ढकना, पटवन, तैयार होते खाद का हाथ से हल्का करना, तैयार खाद में चालना एवं भंडारण हेतु विभिन्न आकार के प्लास्टिक बैग का क्रय) उत्पादन लक्ष्य– 6250 कि०ग्रा०।	125	38,916.25	19,375.00	58,291.25
	स्थानीय विलुप्त प्राय एवं वैसे प्रजाति जिनके बीजों का संग्रहण एवं संवर्धन आसानी से संभव नहीं होता उन प्रजातियों का शाखा कर्त्तन द्वारा मिस्ट चैंबर में तैयारी (मुकचुन, सोनापाठा, मेधछाल, सलई, करम, रूद्राक्ष, गुलर, चंदन, गुड़ी करम, काला शीशम, रोड़ी, रक्त चंदन, गमकराया, कपूर, कॉफी आदि तथा विभिन्न प्रकार के हेज पौधों का ट्रायल हेतु Acacia Sibriana, Duranta, पथरीले जमीन पर Ficus, Litsea प्रजाति आदि)। ये पौधे विभाग के विभिन्न प्रमण्डलों को वृक्षारोपण हेतु उपलब्ध कराये जाते हैं।				

प्रक्षेत्र का नाम	कार्य विवरणी	प्रस्तावित राशि			
		मानव दिवस	मजदूरी (रू०)	सामग्री (रू०)	कुल व्यय (रू०)
	1. मिस्ट चैम्बर में विभिन्न प्रजातियों के ब्रांच कटिंग–संग्रहण, परिवहन, रोपण, पटवन, रख–रखाव, कोड़नी–निकौनी इत्यादि कार्य। पॉली कारबोनेट सीट, ऑटोमेटिक टेम्परेचर एवं प्रेशर कंट्रोल का बदलाव, कटिंग से क्लोन तैयार करने के पश्चात् पौधशाला में उनकी उत्तरजीविता प्रतिशत का अध्ययन। ब्रांच कटिंग कार्य हेतु एक अति कुशल मजदूर 10500/– रू० प्रति माह।		126,000.00	50,000.00	176,000.00
	2. पौधों की तैयारी हेतु एक हेल्पर (पुरे वर्ष के लिए)।	312	97,134.96	0.00	97,134.96
	3. उक्त ब्रांच कटिंग से रूट ट्रेनर में तैयार 10,000 पौधों को पॉली ट्यूब में प्रतिस्थापन (Transplanting), उर्वरक, किटनाशक, कोड़नी–निकौनी एवं पटवन आदि कार्य। (इन विलुप्त प्राय प्रजातियों के पौधों का उपयोग विभिन्न वन प्रमंडलो में किये जाने वाले वनरोपण कार्य में वनों में इन प्रजातियों के प्रसार हेतु किया जायेगा)।	250	77,832.50	23,575.00	101,407.50
	साल एवं साल के सहयोगी प्रजाति, एल0के0टी0एस0, स्थानीय लघु वन उपज वाले प्रजाति, शहरी वानिकी एवं सौदर्यीकरण प्रजाति एवं फलदार प्रजाति के पौधे का नर्सरी संबंधित कार्य। (ट्यूब का क्रय, ट्यूब मे मिटटी, बालू, खाद को चुरा करना, मिश्रण को ट्यूब में भरना, बेडों में सजा के रखना, बीजो का क्रय/संग्रहण, उपचार, रोपण आदि कार्य) – अग्रिम एवं समापन कार्य साथ–साथ। (नोट – उपरोक्त प्रजातियों के बीजो (सी0पी0टी0 द्वारा प्राप्त बीज) का संग्रहण काल सामन्यतः अप्रैल से जुलाई माह तक होते है तथा ऐसे प्रजातियों के बीजों का अंकुरण क्षमता अल्प कालिन होने के फलस्परूप उपरोक्त हेतु अग्रिम एवं समापन कार्य एक साथ किया जायेगा)। प्रजाति – साल, हर्रे, बहेरा, भेलवा, छतवन, महुआ, करम, पियार, सेमल, आसन, कुसूम, गुल्मोहर, चंपा, कल्पतरू, बीजा साल, जकरण्डा, अमलतास, सीता अशोक आदि। ये पौधे विभाग के विभिन्न प्रमण्डलों को वृक्षारोपण हेतु उपलब्ध कराये जाते हैं।				
	1. 25,000 पौधों (साल एवं साल के सहयोगी प्रजाति, एल0के0टी0एस0, स्थानीय प्रजाति, शहरी वानिकी एवं सौदर्यीकरण प्रजाति) की तैयारी हेतु (स्थानीय जंगलों में कम मात्रा में पाये जाने वाले या विलुप्प प्रजाति के पौधें जो साधरणतः झारखण्ड के किसी भी पोधशाला में तैयार नहीं किये जा रहे हैं वैसे प्रजाति के पौधों के रोपण को बढावा देने के लिए सभी नये प्रजाति जिनके बीज सी0पी0टी0 से प्राप्त किये जाते हैं)	1537.5	478,669.88	78,450.00	557,119.88
	2. वित्तीय वर्ष 2023–24 में 5,000 उच्च गुणवत्ता वाले ग्राफ्टिंग पौधों की तैयारी हेतु 12,500 फलदार पौधों का नर्सरी कार्य	768.5	239,257.11	39,235.00	278,492.11
	शहरी वानिकी एवं सौदर्यीकरण प्रजाति के पौधे की तैयारी से संबंधित कार्य				
	37500 पोली ट्यूब में स्टंप का प्री–स्परावटींग कर बडे पौधों को तैयार कराया जाएगा। इसमें लम्बे पौधे (14" X 20" X 100) के उगाई का कार्य समिल्लित है। (कुल लक्ष्य–37,500)				
	ट्यूब (8"x12"x 200 गेज) का क्रय	0	0.00	41,405.18	41,405.18
	बीज का संग्रहण/कय:– स्टम्प को इस अंचल के अधीन स्थाई नर्सरी से निशुल्क प्राप्त कराया जाएगा। अतः इस पर व्यय नहीं होगी।		0.00	0.00	0.00

प्रक्षेत्र का नाम	कार्य विवरणी	प्रस्तावित राशि			
		मानव दिवस	मजदूरी (रू०)	सामग्री (रू०)	कुल व्यय (रू०)
	मिट्टी में बालू, गोबर खाद/कम्पोस्ट/वर्मी–कम्पोस्ट मिलाना, इत्यादि	150	46,699.50	40,606.78	87,306.28
	ट्यूब की भराई तथा बेडो में रखना	600	186,798.00	0.00	186,798.00
	कोड़नी–निकोनी एवं पटवन आदि का कार्य– दिसम्बर से मार्च तक (1.5 व्यक्ति प्रति दिन)	180	56,039.40	0.00	56,039.40
	300 जी के पॉलीशीट शीट का कय		0.00	8,000.00	8,000.00
	शोध प्रदर्श केन्द्र में अन्य कार्य				
	1. कॉयिक प्रवर्धन (vegetative propogation) उद्यान में रोपित पौधों की कोड़नी निकौनी, पटवन एवं रख–रखाव कार्य। 2. बीज प्राप्ती हेतु बीज एवं कॉयिक प्रवर्धन से तैयार वृक्ष उद्यान में रोपित पौधों की कोड़नी निकौनी, पटवन एवं रख–रखाव कार्य।	225	70,049.25	0.00	70,049.25
	3. शोध परिसर में लैण्ड स्केपिंग क्षेत्र, प्रशासनिक भवन, उद्यान आदि का रख–रखाव।(दो व्यक्ति पुरे वर्ष के लिए)	624	194,269.92	50,000.00	244,269.92
	4. पॉलीशीट का कय		0.00	8,000.00	8,000.00
	5. शोध केन्द्र की सुरक्षा – 3 , सफाई कर्मी – 1, पंजीयों के संधारण एवं देख–रेख हेतु –1 कुल – (5 मजदूर पूरे वर्ष) ।	1825	568,177.25	10,000.00	578,177.25
	6. स्ट्रीट लाईट, टूल्लू पम्प, समर्शेबल पम्प, प्रशासनिक भवन का रंगरोगन, लाईटस आदि का वार्षिक रख–रखाव		0.00	70,000.00	70,000.00
	7. जेनरेटर,पम्प सेट आदि का संचालन, ईंधन सहित।		0.00	70,000.00	70,000.00
	8. पुराने जेनेरेटर का पाट पुर्जा का बदलाव, मरम्मति।		0.00	15,000.00	15,000.00
	9. तडित चालक खम्बा का मरम्मति, बिजली संयत्रों का मरम्मति।		0.00	35,000.00	35,000.00
	10. पौधशाला उपकरण सामग्री की व्यवस्था।		0.00	20,000.00	20,000.00
	11. शोध प्रतिवेदन का छायांकन, मुद्रण, प्रकाशन।		0.00	15,000.00	15,000.00
	12. शोध केन्द्र परिसर में लगे हुए कटीले तार घेरान का समय समय पर नये तार कय कर मरम्मति 150 मीटर में कटीला तार को खीचने, सीधा करने तथा स्टेपल के साथ लगाकर घेरान का सुदृढीकरण	22.5	7,004.93	5,545.00	12,549.93
	13. एग्रोनेट का मरम्मति एवं रंगरोगन कार्य,।		0.00	55,000.00	55,000.00
	14. मिस्ट चैम्बर की मरम्मति।		0.00	25,000.00	25,000.00
	15. शोध केन्द्र परिसर में चल रहे विभिन्न शोध एवं अन्य कार्य क्षेत्र के अलावा शेष क्षेत्र में झाड़ी एवं घास की साफ–सफाई हेतु एक मजदूर पुर वर्ष के लिए।	365	113,635.45	0.00	113,635.45
	योग :–		**2,300,484.39**	**679,191.95**	**2,979,676.34**
	अथवा–		**2,300,500.00**	**679,200.00**	**2,979,700.00**

प्रक्षेत्र का नाम	कार्य विवरणी	प्रस्तावित राशि			
		मानव दिवस	मजदूरी (रू०)	सामग्री (रू०)	कुल व्यय (रू०)
वन अनुसंधान –सह– प्रदर्श एवं प्रसार केन्द्र, देवघर	**वन अनुसंधान–सह– प्रदर्श एवं प्रसार केन्द्र, देवघर (उत्तर पूर्वी पठार)।**				
	वर्मी कम्पोस्ट की तैयारी से संबंधित कार्य				
	वर्मी कम्पोस्ट खाद तैयार करने हेतु (कच्चा गोबर का भराव, जूट बैग से ढकना, पटवन, तैयार होते खाद का हाथ से हल्का करना, तैयार खाद में चालना एवं भंडारण हेतु विभिन्न आकार के प्लास्टिक बैग का क्रय) उत्पादन लक्ष्य– 6250 कि०ग्रा०।	125	38,916.25	19,375.00	58,291.25
	स्थानीय विलुप्त प्राय एवं वैसे प्रजाति जिनके बीजों का संग्रहण एवं संवर्धन आसानी से संभव नहीं होता उन प्रजातियों का शाखा कर्त्तन द्वारा मिस्ट चैंबर में तैयारी (मुकचुन, सोनापाठा, मेधछाल, सलई, करम, रूद्राक्ष, गुलर, चंदन, गुड़ी करम, काला शीशम, रोड़ी, रक्त चंदन, गमकराया, कपूर, कॉफी आदि तथा विभिन्न प्रकार के हेज पौधों का ट्रायल हेतु Acacia Sibriana, Duranta, पथरीले जमीन पर Ficus, Litsea प्रजाति आदि)। ये पौधे विभाग के विभिन्न प्रमण्डलों को वृक्षारोपण हेतु उपलब्ध कराये जाते हैं।				
	1. मिस्ट चैम्बर में विभिन्न प्रजातियों के ब्रांच कटिंग–संग्रहण, परिवहन, रोपण, पटवन, रख–रखाव, कोड़नी–निकौनी इत्यादि कार्य। पॉली कारबोनेट सीट, ऑटोमेटिक टेम्परेचर एवं प्रेशर कंट्रोल का बदलाव, कटिंग से क्लोन तैयार करने के पश्चात् पौधशाला में उनकी उत्तरजीविता प्रतिशत का अध्ययन। ब्रांच कटिंग कार्य हेतु एक अति कुशल मजदूर 10500/– रू० प्रति माह।		126,000.00	50,000.00	176,000.00
	2. पौधों की तैयारी रख–रखाव हेतु एक हेल्पर (पुरे वर्ष के लिए)।	312	97,134.96	0.00	97,134.96
	3. उक्त ब्रांच कटिंग से रूट ट्रेनर में तैयार 10,000 पौधों को पॉली ट्यूब में प्रतिस्थापन (Transplanting), उर्वरक, किटनाशक, कोड़नी–निकौनी एवं पटवन आदि कार्य। (इन विलुप्त प्राय प्रजातियों के पौधों का उपयोग विभिन्न वन प्रमंडलो में किये जाने वाले वनरोपण कार्य में वनों में इन प्रजातियों के प्रसार हेतु किया जायेगा)।	250	77,832.50	23,540.00	101,372.50
	साल एवं साल के सहयोगी प्रजाति, एल०के०टी०एस०, स्थानीय लघु वन उपज वाले प्रजाति, शहरी वानिकी एवं सौदर्यीकरण प्रजाति एवं फलदार प्रजाति के पौधे का नर्सरी संबंधित कार्य। (ट्यूब का क्रय, ट्यूब मे मिटटी, बालू, खाद को चुरा करना, मिश्रण को ट्यूब में भरना, बेडों में सजा के रखना, बीजो का क्रय/संग्रहण, उपचार, रोपण आदि कार्य) – अग्रिम एवं समापन कार्य साथ–साथ। (नोट – उपरोक्त प्रजातियों के बीजो (सी०पी०टी० द्वारा प्राप्त बीज) का संग्रहण काल सामन्यतः अप्रैल से जुलाई माह तक होते है तथा ऐसे प्रजातियों के बीजों का अंकुरण क्षमता अल्प कालिन होने के फलस्परूप उपरोक्त हेतु अग्रिम एवं समापन कार्य एक साथ किया जायेगा)। प्रजाति – साल, हर्रे, बहेरा, भेलवा, छतवन, महुआ, करम, पियार, सेमल, आसन, कुसूम, गुल्मोहर, चंपा, कल्पतरू, बीजा साल, जकरण्डा, अमलतास, सीता अशोक आदि। ये पौधे विभाग के विभिन्न प्रमण्डलों को वृक्षारोपण हेतु उपलब्ध कराये जाते हैं।				

प्रक्षेत्र का नाम	कार्य विवरणी	प्रस्तावित राशि			
		मानव दिवस	मजदूरी (रू०)	सामग्री (रू०)	कुल व्यय (रू०)
	1. 25,000 पौधों (साल एवं साल के सहयोगी प्रजाति, एल0के0टी0एस0, स्थानीय प्रजाति, शहरी वानिकी एवं सौदर्यीकरण प्रजाति) की तैयारी हेतु (स्थानीय जंगलों में कम मात्रा में पाये जाने वाले या विलुप्प प्रजाति के पौधें जो साधरणतः झारखण्ड के किसी भी पोधशाला में तैयार नहीं किये जा रहे हैं वैसे प्रजाति के पौधों के रोपण को बढावा देने के लिए सभी नये प्रजाति जिनके बीज सी0पी0टी0 से प्राप्त किये जाते हैं)	1560	485,674.80	78,450.00	564,124.80
	2. वित्तीय वर्ष 2023–24 में 5,000 उच्च गुणवक्ता वाले ग्राफ्टिंग पौधों की तैयारी हेतु 12,500 फलदार पौधों का नर्सरी कार्य	768.5	239,257.11	39,235.00	278,492.11
	300 जी के पॉलीशीट शीट का कय		0.00	8,000.00	8,000.00
	शोध प्रदर्श केन्द्र में अन्य कार्य				
	1. कॉयिक प्रवर्धन (vegetative propogation) उद्यान में रोपित पौधों की कोड़नी निकौनी, पटवन एवं रख–रखाव कार्य। 2. बीज प्राप्ती हेतु बीज एवं कॉयिक प्रवर्धन से तैयार वृक्ष उद्यान में रोपित पौधों की कोड़नी निकौनी, पटवन एवं रख–रखाव कार्य।	225	70,049.25	0.00	70,049.25
	3. शोध परिसर में लैण्ड स्केपिंग क्षेत्र, प्रशासनिक भवन, उद्यान आदि का रख–रखाव। उपस्कर, मशीनों का रख रखाव कार्य, मशीनों की मरम्मति, आकस्मिक मरम्मति कार्य (एक व्यक्ति पुरे वर्ष के लिए)	312	97,134.96	50,000.00	147,134.96
	पोली बेग में लम्बे पौधे (14" X 20" X 100) गेज 1000 लम्बे पौधे उगाने का कार्यः–				
	4(a). बुना हुआ पॉलीबैग का कय –14" x 20" x 100 माइकोन साईज	0	0.00	23,100.00	23,100.00
	4(b). 14" x 20" साईज पॉली बैग भराई के लिए मिट्टी, बालु एवं गोबर का कय –(ratio 2:1:1)	0	0.00	26,796.00	26,796.00
	4(c). मिट्टी, गोबर एवं बालु का मिश्रण तैयार करना, चालना एवं बुना हुआ पॉलीबैगों 14" x 20" साईज के पॉली बैगों में मिश्रण की भराई + कोड़नी–निकोनी सहित	30.5	9,495.57	0.00	9,495.57
	4(d) 10 पॉलीशीट का कय –@320/- प्रति पीस		0.00	2,208.00	2,208.00
	4(e) उर्वरक, रसायन, माइकोन्यूटिएन्स एवं हारमोनों का कय कीटनाशक, Micronutrients & Hormones - LS, DAP - 50 ग्रा0/पौधा– 1375 कि0ग्रा0 @33/kg, 14" x 20" साईज के 27,500 पॉलीबैगों में Transplanting कार्य?		0.00	5,346.00	5,346.00
	5. शोध केन्द्र की सुरक्षा–3, सफाई कर्मी–1, पंजीयों के संधारण एवं देख–रेख हेतु–1 कुल–(5 मजदूर पूरे वर्ष)।	1825	568,177.25	10,000.00	578,177.25
	6. स्ट्रीट लाईट, टूल्लू पम्प, समर्शेबल पम्प, प्रशासनिक भवन का रंगरोगन, लाईटस आदि का वार्षिक रख–रखाव		0.00	70,000.00	70,000.00
	7. जेनरेटर, पम्प सेट आदि का संचालन, ईंधन सहित।		0.00	70,000.00	70,000.00

प्रक्षेत्र का नाम	कार्य विवरणी	प्रस्तावित राशि			
		मानव दिवस	मजदूरी (रू०)	सामग्री (रू०)	कुल व्यय (रू०)
	8. पुराने जेनेरेटर का पाट पुर्जा का बदलाव, मरम्मति।		0.00	15,000.00	15,000.00
	9. तडित चालक खम्बा का मरम्मति, बिजली संयत्रों का मरम्मति।		0.00	35,000.00	35,000.00
	10. पौधशाला उपकरण सामग्री की व्यवस्था।		0.00	20,000.00	20,000.00
	11. शोध प्रतिवेदन का छायांकन, मुद्रण, प्रकाशन।		0.00	15,000.00	15,000.00
	12. शोध केन्द्र परिसर में लगे हुए कटीले तार घेरान का समय समय पर मरम्मति 100 मीटर में कटीला तार को खीचने, सीधा करने तथा स्टेपल के साथ लगाकर घेरान का सुदृढीकरण	15	4,669.95	5,545.00	10,214.95
	13. तीन एग्रोनेट हाउस मिस्ट चैम्बर का मरम्मति एवं रंगरोगन कार्य।		0.00	100,000.00	100,000.00
	14. मिस्ट चैम्बर की मरम्मति।		0.00	25,000.00	25,000.00
	15. शोध केन्द्र परिसर में चल रहे विभिन्न शोध एवं अन्य कार्य क्षेत्र के अलावा शेष क्षेत्र में झाड़ी एवं घास की साफ–सफाई हेतु एक मजदूर पुर वर्ष के लिए।(संबंधित कार्य हेतु अन्य मशीन एवं उपस्करों का कय)	312	97,134.96	49,319.00	146,453.96
	16. पानी का किल्लत दूर करने के लिए एक अतिरिक्त बोरिंग तथा सबमर्सिबल पम्प तथा पाईप प्रणाली के निर्माण सहित सिचाई निर्माण कार्य	0	0.00	215,000.00	215,000.00
	योग :–		1,911,477.55	955,914.00	2,867,391.55
	अथवा–		1,911,500.00	955,900.00	2,867,400.00
	कुल योग–(गढ़खटंगा+गम्हरिया+देवघर)–		6,828,950.94	2,757,427.90	9,586,378.84
	अथवा–		6,829,000.00	2,757,400.00	9,586,400.00

<u>व्यय का सारांश</u>

मजदूरी–रू0 6829000

सामग्री एवं पुर्तियाँ–रू0 2757400

योग– **9586400**

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है

पत्र संख्या - 01/YB-16/2021/832 दिनांक - 15-Dec-2021

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 19 24060110160010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 60 - प्रशिक्षण, प्रचार प्रसार, अनुसंधान एवं मूल्यांकण 01-प्रशिक्षण, प्रचार प्रसार, अनुसंधान एवं मूल्यांकण 01 - वेतन एवं भत्ते State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	65065	DRNFWL020 N.S.R. KUMAR CF.PLANTATION RES.&EVL.JHKD 03 - मजदूरी	6,829,000.00 रुपये अड़सठ लाख उन्तीस हजार
2	S 19 24060110160010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 60 - प्रशिक्षण, प्रचार प्रसार, अनुसंधान एवं मूल्यांकण 01-प्रशिक्षण, प्रचार प्रसार, अनुसंधान एवं मूल्यांकण 01 - वेतन एवं भत्ते State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	65071	DRNFWL032 SMITHA PANKAJ CF & STATE SILVICULTURIST JH 03 - मजदूरी	5,247,500.00 रुपये बावन लाख सैतालीस हजार पॉच सौ
3	S 19 24060110160010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 60 - प्रशिक्षण, प्रचार प्रसार, अनुसंधान एवं मूल्यांकण 01-प्रशिक्षण, प्रचार प्रसार, अनुसंधान एवं मूल्यांकण 03 - प्रशासनिक व्यय State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	65075	DRNFWL020 N.S.R. KUMAR CF.PLANTATION RES.&EVL.JHKD 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	2,757,400.00 रुपये सत्ताइस लाख सत्तावन हजार चार सौ

योग: 14,833,900.00

क्रमिक योग:

रुपये एक करोड अडतालीस लाख तैतीस हजार नौ सौ

15/12/2021

(NAND KISHORE SINGH)
ADDL. PCCF DEV JHARKHAND

 59.97.146.205 RANCH Run Date: 15/12/2021

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
4	S 19 24060110160010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 60 - प्रशिक्षण, प्रचार प्रसार, अनुसंधान एवं मूल्यांकण 01-प्रशिक्षण, प्रचार प्रसार, अनुसंधान एवं मूल्यांकण 03 - प्रशासनिक व्यय State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	65080	DRNFWL032 SMITHA PANKAJ CF & STATE SILVICULTURIST JH 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	2,354,200.00 रुपये तेइस लाख चौपन हजार दो सौ
5	S 19 24060110160010335 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 60 - प्रशिक्षण, प्रचार प्रसार, अनुसंधान एवं मूल्यांकण 01-प्रशिक्षण, प्रचार प्रसार, अनुसंधान एवं मूल्यांकण 03 - प्रशासनिक व्यय State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	65081	DRNFWL009 DR. VIJAY SHANKAR DUBEY IFS DY.CF.TRAINING RANCHI 35 - प्रशिक्षण व्यय	10,089,900.00 रुपये एक करोड नवासी हजार नौ सौ
6	S 19 24060110160010335 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 60 - प्रशिक्षण, प्रचार प्रसार, अनुसंधान एवं मूल्यांकण 01-प्रशिक्षण, प्रचार प्रसार, अनुसंधान एवं मूल्यांकण 03 - प्रशासनिक व्यय State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	65083	HZBFWL020 VIKAS PALIWAL DIRCT.FOR CUM FRG TRG SCH HZB 35 - प्रशिक्षण व्यय	8,315,400.00 रुपये तिरयासी लाख पंद्रह हजार चार सौ

योग: रुपये तीन करोड पचपन लाख तिरनावे हजार चार सौ — 20,759,500.00

क्रमिक योग: 35,593,400.00

(NAND KISHORE SINGH)
ADDL. PCCF DEV JHARKHAND

पत्र संख्या - 01/YB-16/2021/832 दिनांक - 15-Dec-2021

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
7	S 19 24060110160010335 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 60 - प्रशिक्षण, प्रचार प्रसार, अनुसंधान एवं मूल्यांकण 01-प्रशिक्षण, प्रचार प्रसार, अनुसंधान एवं मूल्यांकण 03 - प्रशासनिक व्यय State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	65087	SGHFOR011 CHANDRAMAOULI PRASAD SINHA D.F.O.SARANDA FOREST DIV.JFS 35 - प्रशिक्षण व्यय	9,094,400.00 रुपये नब्बे लाख चौरानवे हजार चार सौ
8	S 19 24060110160010335 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 60 - प्रशिक्षण, प्रचार प्रसार, अनुसंधान एवं मूल्यांकण 01-प्रशिक्षण, प्रचार प्रसार, अनुसंधान एवं मूल्यांकण 03 - प्रशासनिक व्यय State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	65090	DRNFWL013 ASHOK KUMAR DUBEY DFO. RANCHI FOREST DIVISION RA 35 - प्रशिक्षण व्यय	2,500,000.00 रुपये पच्चीस लाख

योग: 11,594,400.00

क्रमिक योग: रुपये चार करोड इकहत्तर लाख सित्यासी हजार आठ सौ 47,187,800.00

(NAND KISHORE SINGH)
ADDL. PCCF DEV JHARKHAND
RANCHI